अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न 1: अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अंतर्गत प्रत्यायन के लिए कौन आवेदन कर सकते हैं ?

उत्तर: अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अंतर्गत प्रत्यायन के लिए अल्पसंख्यक समुदाय जैसे - मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई और बौद्ध समुदाय से संबंध रखने वाले संस्थान आवेदन कर सकते हैं । इनमें मुस्लिम समुदाय के मदरसे भी शामिल हैं ।

प्रश्न 2: क्या इसके अंतर्गत प्रत्यायन हेतु प्रोसेसिंग शुल्क रूपये 5000/- माफ है?

उत्तर: यदि मदरसा, मदरसा बोर्ड से प्रत्यायित है अथवा एनसीएमईआई द्वारा अल्पसंख्यक संस्था का दर्जा प्राप्त है, तो उनके लिए प्रोसेसिंग शुल्क माफ है। यह नियम केवल मदरसों के लिए लागू है। अन्य संस्थाओं को 5000/- रु. प्रोसेसिंग शुल्क देना होगा ।

प्रश्न 3: एनआईओएस किन-किन कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों के लिए प्रत्यायन प्रदान करता है?

उत्तर: एनआईओएस तीन प्रकार के कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों के लिए प्रत्यायन प्रदान करता है। ये निम्नलिखित हैं :

1 ओबीई कार्यक्रम - कक्षा 3, कक्षा 5 तथा कक्षा 8 तक है।

2 शैक्षिक पाठ्यक्रम – कक्षा 10वीं तथा 12 वीं के लिए है।

3 व्यावसायिक पाठ्यक्रम - व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए है।

प्रश्न 4: प्रत्यायन हेतु आवश्यक जानकारी कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? इसकी प्रक्रिया क्या है?

उत्तर: प्रत्यायन हेतु आवश्यक सभी जानकारी तथा आवेदन फॉर्म वेबसाइट www.nios.ac.in पर उपलब्ध है। प्रत्यायन हेतु आवेदन करने के लिए वेबसाइट से आवेदन फॉर्म लेकर और आवश्यक दस्तवेज़ के साथ संस्थान के मुख्य कार्यालय में जमा करना होगा । मुख्यालय का पता है राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, ए-24/25, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर- 62, नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश - 201309

प्रश्न 5: मदरसों या अल्पसंख्यक संस्थाओं में प्रवेश लेने की क्या प्रक्रिया है?

उत्तर:. मदरसों या अल्पसंख्यक संस्थाओं में प्रवेश लेने के इच्छुक शिक्षार्थी अपने शैक्षिक स्तर के अनुसार ऑन लाइन /ऑफ लाइन प्रवेश ले सकते हैं ।

ओबीई कार्यक्रम - कक्षा 1-8 तक, में प्रवेश हेतु शिक्षार्थी सीधे मदरसो या अल्पसंख्यक संस्थाओं में जाकर प्रवेश ले सकते हैं ।

शैक्षिक पाठ्यक्रम – शिक्षार्थी कक्षा 10 व 12 में आयु एवं शिक्षा संबंधी मूल प्रमाण पत्रों के साथ प्रवेश ले सकते हैं । इसके लिए वे हमारी वेबसाइट www.nios.ac.in पर जाकर स्वयं अपना फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं, अथवा एनआईओएस के निकटतम अध्ययन केंद्र /मदरसा पर जाकर भी फार्म भरवा सकते हैं ।

व्यावसायिक पाठ्यक्रम - शिक्षार्थी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु मूल प्रमाण पत्रों के साथ निकटतम अध्ययन केंद्र पर जाकर फार्म भर सकते हैं ।

प्रश्न 6: शैक्षिक पाठ्यक्रमों अथवा दसवीं/बारहवीं कक्षा का प्रत्यायन लेने के लिए कौन-कौन से दस्तावेज़ जरूरी हैं ?

उत्तर: शैक्षिक पाठ्यक्रमों अथवा दसवीं/ बारहवीं कक्षा का प्रत्यायन लेने के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसवीं/बारहवीं की मान्यता होना आवश्यक है । एनसीएमईआई से अल्पसंख्यक होने का दर्ज़ा प्राप्त मदरसों/संस्थानों के लिए आवेदन शुल्क माफ है, परंतु उनका किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसवीं/बारहवीं की

मान्यता होना आवश्यक है। बाकी सभी दस्तावेज़ों की जानकारी हमारी वेबसाइट www.nios.ac.in पर उपलब्ध है।

प्रश्न 7: ओबीई कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्यायन के लिए क्या प्रावधान है?

उत्तर: ओबीई कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्यायन के लिए कोई भी संस्था/मदरसा प्रत्यायन के लिए निम्न दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकता है।

1) प्रोसेसिंग शुल्क (सचिव, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान के पक्ष में 4000/-रु. और 1000/-रु. के दो बैंक ड्राफ्ट) अथवा मदरसा बोर्ड/राज्य शिक्षा बोर्ड से जारी मान्यता प्रमाण पत्र अथवा एनसीएमईआई *द्वारा अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र* (*केवल मदरसों के लिए)*
2) पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि ।
3) समिति का ज्ञापन और नियम
4) समिति के शासकीय निकाय के सदस्यों की सूची, उनके व्यवसाय और पता सहित ।
5) एनआईओएस समन्वय केंद्र लेने हेतु समिति के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित संकल्प/प्रस्ताव की मूल प्रति ।
6) शिक्षकों की सूची योग्यता, पद सहित।
7) नवीनतम तीन वर्षों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट ।
8) मदरसे के भवन, शिक्षण कक्ष के चार फोटो ।
9) मदरसे के भवन का नक्शा ।
10) मदरसे की भूमि /भवन के स्वामित्व संबंधी दस्तावेज़।
11) मदरसा /स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का विवरण ।

प्रश्न 8: व्यावसायिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रत्यायन के लिए क्या प्रावधान है?

उत्तर: व्यावसायिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रत्यायन के लिए संस्था/मदरसे के पास व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के अनुरूप ही उपकरण, प्रयोगशाला तथा शिक्षक इत्यादि होने चाहिए।

प्रश्न 9: मदरसों में विज्ञान प्रयोगशाला न होने पर उन्हें प्रत्यायन केंद्र बनाने का क्या प्रावधान है?

उत्तर: ऐसे मदरसे एक शपथपत्र दें, कि वे एनआईओएस के शिक्षार्थियों की प्रायोगिक परीक्षा किसी मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला सुविधा युक्त विद्यालय में कराएंगे । ऐसा करने पर उनके प्रत्यायन पर विचार किया जा सकता है।

प्रश्न 10: क्या प्रत्यायन के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं ?

उत्तर: हाँ, प्रत्यायन के लिए हमारी वेबसाइट www.nios.ac.in से ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं । इसके लिए सभी आवश्यक निर्देश हमारी वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं ।

प्रश्न 11: क्या प्रत्यायन हेतु आवेदन करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क करना होगा ?

उत्तर: मदरसों या अल्पसंख्यक संस्थाओं के प्रत्यायन हेतु आवेदन करने के लिए एकल खिड़की योजना योजना के अंतर्गत सीधे मुख्यालय द्वारा भी किया जा रहा है। यद्यपि सूचना क्षेत्रीय कार्यालय से भी ली जा सकती है ।

प्रश्न 12: एनआईओएस ने बिहार मदरसा बोर्ड के किन-किन पाठ्यक्रमों को अपने पाठ्यक्रमों के समकक्षता प्रदान की है?

उत्तर: एनआईओएस ने बिहार मदरसा बोर्ड के फ़ोकानिया को माध्यमिक (10^{th}) और मौलवी को उच्चतर माध्यमिक (12^{th}) के समकक्षता प्रदान की है।

प्रश्न 13: क्या शिक्षार्थी उर्दू अथवा अपनी क्षेत्रीय भाषा में परीक्षा दे सकते हैं ?

उत्तर: हाँ, शिक्षार्थी अपनी पसंद की भाषा में परीक्षा दे सकते हैं । प्रश्न-पत्र हिन्दी, अँग्रेजी तथा कुछ क्षेत्रीय भाषाओं में ही उपलब्ध कराया जाता है। फिर भी, शिक्षार्थी अपने उत्तर किसी भी भारतीय भाषा में लिख सकता है।

प्रश्न 14: शैक्षिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले शिक्षार्थियों को अध्ययन सामग्री कहाँ से प्राप्त होगी?

उत्तर: प्रवेश लेने के बाद अध्ययन सामग्री डाक द्वारा शिक्षार्थी के घर पहुंचा दी जाती है। इसके अलावा शिक्षार्थी अध्ययन सामग्री एनआईओएस के एमपीडीडी अनुभाग, सी डब्लू सी गोदाम कैम्पस , 4/बी, जी टी करनाल रोड, राणा प्रताप बाग, स्टेट बैंक कॉलोनी के सामने ,दिल्ली -110033 (फोन नं 011-27416329) से भी प्राप्त कर सकते हैं । विस्तृत जानकारी एनआईओएस की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

प्रश्न 15: एसपीक्यूईएम योजना क्या है?

उत्तर: मदरसों में गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने की योजना (एसपीक्यूईएम), केंद्र सरकार की मदरसों के आधुनिकीकरण की योजना है। इस योजना के अंतर्गत एनआईओएस के अध्ययन केंद्र (मदरसों) में 10वीं/12वीं पढ़ने वाले शिक्षार्थियों को नि:शुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

प्रश्न 16: क्या किसी भी मदरसे का शिक्षार्थी एनआईओएस में माध्यमिक कक्षा में प्रवेश ले सकता है?

उत्तर: जी हाँ, मदरसे में पढ़ने वाले शिक्षार्थी स्व-प्रमाण पत्र कि मैं सत्यापित करता/करती हूँ कि मैं माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम पढ़ने में समर्थ हूँ" के आधार पर एनआईओएस की माध्यमिक स्तर में प्रवेश ले सकता/सकती है।